समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)/
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)
एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली एवेन्यू / MPEDA House, Panampilly Avenue
कोच्चि, केरल / Kochi, Kerala - 682 036.
(दूरभाष / Tel: 0484- 2311901) ईमेल / Email: ho@mpeda.gov.in
वेबसाइट / Website: www.mpeda.gov.in

PERS-HRD/1/2023-PERS 23.01.2024

अधिसूचना संख्या वाईपी /01/2024

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ठेका के आधार पर युवा पेशेवरों के पदों के लिए प्रतिभाशाली, नवोन्वेषी और गतिशील पेशेवरों को नियुक्त करने का इरादा रखता है। पदों की संख्या और आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं नीचे दी गई हैं: -

1	पद का नाम	युवा पेशेवर II (मत्स्य पालन)
2	पद की संख्या	10
3	नियुक्ति की विधि	ओपन मार्केट के माध्यम से ठेका आधार पर
4	ऊपरी आयु सीमा	32 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी)
5	ठेका अवधि	2 साल (शुरुआत में दो साल के लिए और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है)
6	प्रतिमाह पारिश्रमिक	₹60,000/- (पारिश्रमिक में सभी कर शामिल होंगे और किसी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं होगी)
7	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान/जलीय कृषि में मास्टर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता

8	अनुभव	3 वर्ष(पीएचडी धारकों के लिए अनुभव में 3 वर्ष तक का समय शामिल है, बशर्ते उन 3 वर्षों के दौरान कोई कार्य अनुभव नहीं गिना जाए)।
9	नौकरी का विवरण	सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हुए समुद्री क्षेत्र की योजनाओं का विश्लेषण। समुद्री उत्पाद विकास, निर्यात बाजार, आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य संवर्धन प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स मुद्दे और चिरस्थयीई जैसे विषयों पर कार्यनीति और नीति पर काम करें। अन्य चालू योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और समाधान सहित अनुसंधान कार्यकलाप करना। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों को निपटने में समुद्री कार्यक्षेत्र को सहायता प्रदान करना। समय-समय पर सौंपे गए किसी भी कार्य और क्षेत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना।
10	चयन प्रक्रिया	एमपीईडीए, एक जांच समिति के माध्यम से, आवेदनों की जांच करेगा और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा। (लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए 80% और इंटरव्यू के लिए 20% वेटेज दिया जाएगा)। उम्मीदवार के चयन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, और इस विषय पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
11	कार्य स्थान	एमपीईडीए, मुख्यालय, कोच्चि।

युवा पेशेवरों की नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें ठेका के आधार पर युवा पेशेवरों की नियुक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और परिवर्तित हो सकती है। उपरोक्त पात्रता मानदंड रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार 7 फरवरी 2024 को या उससे पहले अपना आवेदन ऑनलाइन (www.mpeda.gov.in - अधिसूचना - अवसर - प्रारंभिक सूची) जमा कर सकते हैं। अन्य जानकारी हमारी वेबसाइट www.mpeda.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।

निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले आवेदनों को आवेदक को कोई कारण बताए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और एमपीईडीए इस संबंध में आवेदक के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

(के.एस. प्रदीप भा व से)
सचिव

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)/
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)
एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली एवेन्यू / MPEDA House, Panampilly Avenue
कोच्चि, केरल / Kochi, Kerala - 682 036.
(दूरभाष / Tel: 0484- 2311901) ईमेल / Email: ho@mpeda.gov.in
वेबसाइट / Website: www.mpeda.gov.in

PERS-HRD/1/2023-PERS 23.01.2024

NOTIFICATION No. YP /01/2024

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) intends to hire talented, innovative, and dynamic Professionals for the positions of Young Professionals on a contractual basis. The number of positions and required educational qualifications are given below: -

1	Name of Position	Young Professionals II (Fisheries)
2	Number of Position	10
3	Method of engagement	Contractual basis through Open Market
4	Upper age limit	32 Years (The upper age limit will be relaxed to SC/ST/OBC categories as per the rules)
5	Period of Contract	2 years (initially for two years and extendable up to three years)
6	Remuneration per month	₹60,000/- (*The remuneration will be inclusive of all taxes and no other facility or allowance will be allowed)*
7	Educational Qualification	Master's degree in Fisheries Science/Aquaculture with specialization in the respective field from a recognized University

8	Experience	3 years (*Experience includes up to 3 years for PhD holders, provided no work experience is counted during those 3 years).*
9	Job description	Analysis of Marine Sector schemes using statistical tools. Work on strategy and policy on themes such as Marine Products Development, export market, supply Chain and value addition management, Logistics issues and sustainability. Take up research activities, including monitoring and addressing other ongoing schemes and programmes. To Provide support to the Marine vertical in addressing policy issues relevant at the National Level, including state-specific needs. To assist senior Officers in any work assigned from time to time and any other work related to the discipline.
10	Selection Procedure	MPEDA, through a Scrutiny Committee, will scrutinize the applications and shortlist the candidates based on merit. The shortlisted candidate will undergo a test cum interview (Weightage of 80 % will be given for the marks obtained in the written test and 20 % for the interview). The decision of the Competent Authority on the selection of the candidate will be final, and no correspondence on this subject will be entertained.
11	Place of work	MPEDA, Head Office, Kochi

The other terms and conditions of engagement of Young Professionals will be according to the Guidelines for engagement of Young Professionals on a contractual basis.

The number of vacancies is tentative and may vary. Interested candidates having the above eligibility criteria may submit their application online (**www.mpeda.gov.in - Notification – opportunities - opening list**) on or before **7th February 2024**. The other details will also be available on our website **www.mpeda.gov.in.**

Applications failing to comply with the prescribed criteria will be summarily rejected without assigning any reason to the applicant, and MPEDA will not entertain any sort of correspondence in that regard with the applicant.

23/01/24

(K.S. PRADEEP IFS)
SECRETARY